सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय
मेरठ–250110

वित्त समिति की 23वीं बैठक दिनाँक 27 मार्च, 2026 का कार्यवृत्त

विश्वविद्यालय की वित्त समिति की 23वीं बैठक दिनाँक 27 मार्च, 2026 को पूर्वान्ह 11.00 बजे से आयोजित की गयी।

वित्त समिति की बैठक में उपस्थिति निम्नवत् थीः–

1. डा0 त्रिवेणी दत्त, कुलपति, — **अध्यक्ष**
2. श्री रवीन्द्र, प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान (उ0प्र0 शासन, लखनऊ) — **सदस्य**
3. श्री सतीश कुमार, अपर निदेशक पेंशन एवं कोषागार, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, वित्त, उ0प्र0 के प्रतिनिधि)। — **सदस्य**
4. डा0 परमेन्द्र सिंह, उप–महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ (ऑनलाईन प्रतिभाग किया गया)। (महानिदेशक, उ0प्र0 कृषि अनुसंधान परिषद, लखनऊ के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
5. डा0 मोनिका सिंह, क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ मण्डल, मेरठ (अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा, उ0प्र0 के प्रतिनिधि) — **सदस्य**
6. श्री देवव्रत त्यागी, प्रगतिशील कृषक — **सदस्य**
7. श्री पंकज कुमार चतुर्वेदी, वित्त नियन्त्रक — **सदस्य सचिव**

सर्वप्रथम माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति द्वारा उपरोक्तानुसार आयोजित बैठक में प्रतिभाग करने वाले सभी सम्मानित मा0 सदस्यों का स्वागत करते हुए बैठक प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी।

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 23.1:– **वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 के कार्यवृत्त की पुष्टि।**

दिनाँक 28 मार्च, 2025 को सम्पन्न 22वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

प्रस्ताव संख्या 23.2:– **वित्त समिति की 22वीं बैठक दिनाँक 28 मार्च, 2025 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।**

वित्त समिति द्वारा 22वीं बैठक दिनांक 28 मार्च, 2025 के निर्णयों की अनुपालन आख्या का अवलोकन किया गया।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या 23.3:– **वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स शीट का अनुमोदन।**

सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय मेरठ की वित्तीय वर्ष 2024–25 के अन्तिम लेखे/बैलेन्स पर मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ द्वारा बैलेंस शीट का अवलोकन करते हुए अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय के कार्मिकों की जी0एल0आई0सी0 की Liability दर्शायी गयी है, जिसका Reconcillation कराया जाना उपयुक्त होगा। इसी प्रकार विश्वविद्यालय के कार्मिकों के जी0पी0एफ0 की धनराशि को बैलेंस शीट में इनकम दर्शाया गया है, इसका भी Reconcillation करा लिया जाये।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

FC

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 23.4:— **वित्तीय वर्ष 2025—2026 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2026—2027 का आय—व्ययक**

वित्तीय वर्ष 2025—26 का पुनरीक्षित तथा वित्तीय वर्ष 2026—27 का आय—व्ययक का अनुमोदन वित्त समिति द्वारा किया गया।

आय—व्ययक वित्तीय वर्ष 2026—27

(रू0 लाख में)

क्रम सं0	विभिन्न प्राप्तियां एवं व्यय	वास्तविक आंकड़े 2024—25	आय—व्ययक अनुमान 2025—26	पुनरीक्षित अनुमान 2025—26	आय—व्ययक अनुमान 2026—27
1	राजस्व प्राप्तियां	14891.98	24881.41	23922.43	26662.14
2	पूँजीगत प्राप्तियां	1186.55	8270.40	7230.40	8541.27
3	**योग (1+2)**	**16078.53**	**33151.81**	**31152.83**	**35203.41**
4	राजस्व व्यय	13225.28	24059.63	23309.20	26039.64
5	पूँजीगत व्यय	1186.55	8270.40	7230.40	8541.27
6	**योग (4+5)**	**14411.83**	**32330.03**	**30539.60**	**34580.91**

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ के उपरोक्त आय—व्ययक को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ को आई0सी0ए0आर0 नई दिल्ली से अधिकतम अनुदान प्राप्त किये जाने के प्रयास किये जाने चाहिए। साथ ही यह भी अभिमत व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय के छात्रावासों एवं अन्य भवनों के मरम्मत के कार्यों हेतु विश्वविद्यालय को अपने स्तर से कार्यवाही की जाये एवं नवीनीकरण (Renovation) के कार्यों हेतु उ0प्र0 शासन से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव तैयार करते हुए मांग की जाये।

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ—250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

प्रस्ताव संख्या 23.5:– **कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण/अधिष्ठातागण /कुलसचिव/ विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, बाह्य शोध केन्द्र/प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय/परियोजना अन्वेषकों को प्रदत्त वित्तीय अधिकारों को संशोधन उपरांत पुर्ननिर्धारित करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।**

विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 27वीं बैठक दिनाँक 28 जुलाई, 2014 एवं 40वीं बैठक दिनांक 28 फरवरी, 2019 तथा 49वीं बैठक दिनांक 30 मार्च, 2022 में विश्वविद्यालय के अधिकारियों को प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के अधिकार प्रतिनिधानित किये गये थे। इस सम्बन्ध में मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरांत वित्त नियन्त्रक कार्यालय से निर्गत पत्र संख्या– सवप/2014/वि0नि0/2369 दिनाँक 29 जुलाई, 2014, पत्र संख्या– सवप/2017/वि0स0/405 दिनाँक 20 नवम्बर, 2017, पत्र संख्या– सवप/2019/ वि0स0/887 दिनाँक 30 अप्रैल, 2019 एवं पत्र संख्या– सवप/2022/वि0स0/ 1886 दिनाँक 06 अप्रैल, 2022 के अन्तर्गत प्रतिवर्ष अलग–अलग पत्र निर्गत करते हुए संदर्भित अधिकारियों को वित्तीय अधिकार प्रदान गये थे, जिसे अन्तर्गत विश्वविद्यालय की मा0 प्रबन्ध परिषद की 53वीं बैठक दिनांक 03.08.2023 को संशोधित वित्तीय अधिकार प्रदान किये गये। विश्वविद्यालय की वर्तमान आवश्यकता एवं उपलब्ध वित्तीय संसाधन तथा मितव्यिता के दृष्टिगत वित्त नियन्त्रक से इतर अन्य अधिकारीगणों को पत्र संख्या– सवप/2025/वि0नि0/3090 दिनाँक 09 अप्रैल, 2025 के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2025–26 हेतु वित्तीय अधिकार प्रतिनिधानित हेतु कार्यालय–आदेश जारी किया गया।

उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय द्वारा विज्ञापित विज्ञापन संख्या–I/2023, II/2023, III/2023 एवं IV/2023 के माध्यम

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

से विश्वविद्यालय के भिन्न–भिन्न महाविद्यालयों में विभिन्न स्तर के शिक्षकों द्वारा चयन उपरांत विश्वविद्यालय के संदर्भित विभागों में कार्यभार ग्रहण कर लिया गया है, जिससे कि महाविद्यालयों/विभागों/इकाईयों में निश्चित ही क्रय/कार्यों की सीमा में बढ़ोतरी होनी स्वभाविक है। जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय के विभिन्न महाविद्यालयों के अधिष्ठाताओं द्वारा उनको आवंटित व्यय सीमा में बढ़ोतरी किये जाने के सम्बन्ध में अनुरोध किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा कार्यालय आदेश संख्या सवप/2025/वि0नि0/3299 दिनांक 23.09.2025 के माध्यम से सम्बन्धित महाविद्यालयों/विभागों/इकाईयों के व्यय से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध कराने हेतु जारी किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालयों/विभागों/इकाईयों से वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत व्यय सीमा में बढ़ोतरी हेतु किये गये अनुरोध के दृष्टिगत माननीय प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय की वित्त समिति एवं मा0 प्रबन्ध परिषद द्वारा विश्वविद्यालय के महाविद्यालयों/विभागों/इकाईयों को निम्नवत संशोधित वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाते हैः–

प्रस्तावित वित्तीय प्रतिनिधायन

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु व्यय सीमा (रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2026–27 से प्रस्तावित सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु व्यय सीमा (रू0 में)	एक बार में व्यय की सीमा (रू0 में)
1	2	3	4	5
01	अधिष्ठाता कृषि महाविद्यालय	600000.00	600000.00	20000.00
02	अधिष्ठाता पशुचिकित्सा एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय	600000.00	800000.00	20000.00
03	कुलसचिव	400000.00	500000.00	20000.00
04	निदेशक शोध			
	सामान्य	400000.00	600000.00	20000.00
	परियोजना (सामान्य)	0.00	50000.00	20000.00
	परियोजना (रू0 50,00,000.00 से 2,00,00,000.00)	0.00	100000.00	20000.00
	परियोजना (रू0 2,00,00,000.00 से 5,00,00,000.00)	0.00	200000.00	20000.00

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

05	निदेशक प्रसार	400000.00	400000.00	20000.00
06	अधिष्ठाता जैव प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	400000.00	400000.00	20000.00
07	अधिष्ठाता उद्यान महाविद्यालय	300000.00	300000.00	20000.00
08	अधिष्ठाता तकनीकी महाविद्यालय	200000.00	600000.00	20000.00
09	अधिष्ठाता पोस्ट–हार्वेस्ट महाविद्यालय	200000.00	500000.00	20000.00
10	अधिष्ठाता शुगरकेन महाविद्यालय	0.00	400000.00	20000.00
11	अधिष्ठाता छात्र कल्याण	200000.00	200000.00	20000.00
12	अधिष्ठाता स्नातकोत्तर	100000.00	100000.00	10000.00
13	निदेशक प्रशिक्षण एवं सेवायोजन	100000.00	100000.00	10000.00
14	निदेशक–सी0आई0आर0	0.00	400000.00	20000.00
15	प्रभारी अधिकारी–बाह्य शोध केन्द्र	100000.00	100000.00	10000.00
16	प्रभारी अधिकारी– केन्द्रीय पुस्तकालय	100000.00	100000.00	10000.00
17	विभागाध्यक्ष	0.00	100000.00	10000.00
18	नोडल अधिकारी, लैण्ड– स्कैपिंग	0.00	200000.00	10000.00
19	प्रभारी अधिकारी, निर्माण	0.00	200000.00	10000.00
20	प्रभारी अधिकारी, मरम्मत एवं अनुरक्षण	0.00	200000.00	10000.00
21	प्रभारी अधिकारी, जलकल	0.00	200000.00	10000.00
22	परियोजना अन्वेषक	50000.00	50000.00	5000.00

नोटः– उपरोक्तानुसार सूची में इंगित महाविद्यालयों/विभागों/इकाईयों को संशोधित वित्तीय अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में संदर्भित पदाधिकारीगणों को सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में आवंटित होने वाली धनराशि को चार एकसमान किश्तों में विभक्त करते हुए प्रत्येक 03 माह में व्यय किया जायेगा। इसी प्रकार आगामी किश्तों की धनराशि को त्रैमासिक रूप में व्यय किया जायेगा। त्रैमासिक स्तर पर आवंटित की जाने वाली किश्तों हेतु अवशेष रह जाने वाली धनराशि को आगामी आवंटन से व्यपगत करते हुए किश्तों में सम्मिलित नही किया जायेगा।

(कार्रवाईः वित्त नियन्त्रक)

प्रस्ताव संख्या–23.6– अनुसंधान केन्द्र, नगीना (बिजनौर) हेतु ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, ए0सी0, कम्प्यूटर, प्रिन्टर क्रय करने के साथ–साथ कार्यालय आवास परिसर, लैब स्टोर/भण्डार, प्रक्षेत्र की नालियों एवं क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत इत्यादि कार्यो हेतु धनराशि रू0 24.20 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रभारी अधिकारी, अनुसंधान केन्द्र, नगीना (बिजनौर) द्वारा अनुसंधान केन्द्र हेतु ट्रैक्टर, रोटावेटर, पावर टिलर, ए0सी0,

FC

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

कम्प्यूटर, प्रिन्टर क्रय करने के साथ–साथ कार्यालय आवास परिसर, लैब स्टोर/भण्डार, प्रक्षेत्र की नालियों एवं क्षतिग्रस्त बाउन्ड्रीवाल की मरम्मत इत्यादि कार्यो हेतु धनराशि रू0 24.20 लाख की स्वीकृति–केन्द्र की आय से कराने हेतु माननीय प्रबन्ध परिषद से अनुमोदन हेतु वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाईः निदेशक शोध/प्र0अ0– अनुसंधान केन्द्र, नगीना)

प्रस्ताव संख्या–23.7– अनुसंधान केन्द्र, बुलन्दशहर के परिसर, आवास, कार्यालय, लैब, स्टोर/भण्डारण के साथ ही केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रभारी अधिकारी, अनुसंधान केन्द्र, बुलन्दशहर द्वारा अनुरोध के दृष्टिगत अनुसंधान केन्द्र के परिसर, आवास, कार्यालय, लैब, स्टोर/भण्डारण के साथ ही केन्द्र की बाउन्ड्रीवाल हेतु धनराशि रू0 25.00 लाख की स्वीकृति–केन्द्र के फार्म की आय से कराने के लिए माननीय प्रबन्ध प्रबन्ध से अनुमोदन हेतु स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें।

(कार्रवाईः निदेशक शोध/प्र0अ0– अनुसंधान केन्द्र, बुलन्दशहर)

प्रस्ताव संख्या–23.8– क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, उझानी (बदायूं) हेतु एक मोटरसाईकिल–125 सी0सी0 एवं विद्युत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0 6.50 लाख की स्वीकृति के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

प्रभारी अधिकारी, क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र, उझानी (बदायूं) द्वारा पत्र संख्या 477 दिनांक 27.02.2026 के माध्यम से अनुसंधान केन्द्र के लिए एक मोटरसाईकिल–125 सी0सी0 एवं विद्युत देयकों के भुगतान हेतु धनराशि रू0 6.50 लाख की स्वीकृति–केन्द्र के फार्म

FC

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

की आय से करने के लिए माननीय प्रबन्ध प्रबन्ध से अनुमोदन हेतु वित्त समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी।

(कार्रवाई: निदेशक शोध/प्र0अ0– अनुसंधान केन्द्र, उझानी)

प्रस्ताव संख्या–23.9– कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण/ अधिष्ठातागण/ कुलसचिव/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, बाह्य शोध केन्द्र/प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय/ परियोजना अन्वेषकों के साथ–साथ निदेशक–सी0आई0आर0 को वित्तीय अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में प्रस्ताव।

कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ की मा0 प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन उपरांत विश्वविद्यालय में Centre for International Relations (CIR) की स्थापना की गयी है एवं इसमें निदेशक–सी0आई0आर0 द्वारा कार्य भी प्रारम्भ कर दिया गया है। इसी क्रम में निदेशक–सी0आई0आर0 द्वारा विश्वविद्यालय, मेरठ में निदेशकगण/अधिष्ठातागण/कुलसचिव/विभागाध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी, बाह्य शोध केन्द्र/प्रभारी अधिकारी, केन्द्रीय पुस्तकालय/परियोजना अन्वेषकों के साथ–साथ निदेशक–सी0आई0आर0 को निदेशक स्तर के वित्तीय अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में अनुरोध के दृष्टिगत माननीय प्रबन्ध परिषद के अनुमोदन हेतु वित्त समिति द्वारा निदेशक–सी0आई0आर0 को निम्नवत वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी:–

प्रस्तावित वित्तीय प्रतिनिधायन	क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान में सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु व्यय सीमा (रू0 में)	वित्तीय वर्ष 2026–27 से प्रस्तावित सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु व्यय सीमा (रू0 में)	एक बार में व्यय की सीमा (रू0 में)
	1	2	3	4	5
	01	निदेशक–सी0आई0आर0	0.00	400000.00	20000.00

(कार्रवाई: वित्त नियन्त्रक)

FC

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स0 व0 प0 कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

कुलपति
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ

वित्त नियन्त्रक/सदस्य सचिव, वित्त समिति द्वारा अध्यक्ष महोदय एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त किया गया और धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई।

27/03/26

(पंकज कुमार चतुर्वेदी)
वित्त नियन्त्रक/सचिव, वित्त समिति

वित्त नियंत्रक/सचिव वित्त समिति
स० व० प० कृषि एवं प्रौद्योगिक
विश्वविद्यालय, मेरठ–250110

अनुमोदित

(डा0 त्रिवणी दत्त)
कुलपति/अध्यक्ष

कुलपति 27/3
सरदार वल्लभभाई पटेल कृषि एवं
प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ